न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 188/2015/डिक्री

1. कालु पिता रामा बलाई
2. पप्पु पिता कालु बलाई
   दोनो निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री रामा बलाई
2. बाबुलाल पिता कालु बलाई
   दोनो निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़
4. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 10/06/2015 क्रमांक 177/2013

उपस्थित – 1. श्री मोहनलाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट –2

निर्णय दिनांक – 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीबाई पुत्री रामा बलाई ने अपना हक एवं हिस्सा अपीलान्ट जो कि उसका भाई है उसके पख मे त्याग कर दिया था तथा मांगीबाई ने वाद पत्र को विड्रो करा लिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही देकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार भी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज प्रस्तु त करने का कोई मौका नही दिया तथा मनमकसुद तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

2. विवादग्रस्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट का ही कब्जा एवं काश्त होकर अपीलान्ट ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का मौके पर किसी प्रकार से आधिपत्य नही होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे निर्णय एंव डिक्री जारी करने

मे वैधानिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजीयात पर श्रीमती भगवानी के हिस्से पर वसीयती काबिज होना बताया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे वसीयत साक्ष्य के प्रावधानो के अनुसार साबित नही होते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट को बिना सुने एवं दोनो पक्षो की बिना साक्ष्य लिये निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो किसी भी सूरत मे बहाल नही रखा जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह बताया कि अपीलान्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष मे दान विलेख कर कब्जा अपीलान्ट संख्या 2 को मौके पर सुपुर्द कर दिया था लेकिन वादी संख्या 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त दान विलेख जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नही किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कोई ध्यान नही देकर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का मौका नही देकर निर्णय पारित किया है। यदि तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाती तो न्याय हित मे होता। ऐसी परिस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि यह अपील लिमिटेशन मे प्रस्तुत नही हुई है जिसके कारण खारीज होने योग्य है। साथ ही विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो गिफ्ट नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट सारहीन एवं अवधिपार होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 177/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 10/06/2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई कर तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़